न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
12 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	13.01.2020	29.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन निवासी धाकड कॉलोनी जयपुर रोड टोडारायसिह जिला टोंक विक्रेता मैसर्स अंकित ट्रेडर्स सब्जी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक

2–श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री शान्तिलाल निवासी धाकड कॉलोनी जयपुर रोड टोडारायसिह जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स अंकित ट्रेडर्स सब्जी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक

3– मैसर्स अंकित ट्रेडर्स सब्जी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक

4–श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता निवासी बी–82 एल.एस नगर नया खेडा विधाधर नगर जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37 / 37ए रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरना डूगर झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0

5– मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37 / 37ए रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरना डूगर झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।

2–श्री दिनेश कुमार शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थीगण उपस्थित

:–<u>निर्णय</u>–:

दिनांक 29.10.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 09.10.2019 को समय 1.15 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स अंकित ट्रेडर्स सब्जी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंकपर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन निवासी धाकड कॉलोनी जयपुर रोड टोडारायसिह जिला टोंक विक्रेता मैसर्स अंकित ट्रेडर्स सब्जी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंकखाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया एवं उसका परिचय लिया,

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पूछने पर प्रतिष्ठान का विकेता होना स्वीकार किया और उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्री चन्द्रप्रकाश को होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर दुकान मे **रिफाइंड पाप ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एसटी–28 एंव पैकिग की दिनांक सितम्बर 2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विकेता श्री अंकित कुमार जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता अंकित कुमार जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैक मे 60 मूल पैक पैक्ड अवस्था मे प्रत्येक 500–500 एम. एल पैक **रिफाइंड पाप ऑयल (केदावत ब्राण्ड)**रखे हुये मे से 500–500 एम.एल मूल पैक के 4 मूल पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री अंकित कुमार जैन को रू0 240/–अक्षरे दौ सौ चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफाइंड पाप ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** 4 मूल पैक प्रत्येक 500–500 एम.एल पैक को ज्यो का त्यो एक–एक नग के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2327 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2327 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. अंकित कुमार जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना क्रय करते समय श्री अंकित कुमार जैन ने मौके पर **रिफाइंड पाप ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** का बतोर वारंटी मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37/37ए रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सरना डूगर झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0 का बिल संख्या/इन्वॉइस नं0 2012 दिनांक 02.10.2019 की छायाप्रति पेश की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया [illegible] नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर [illegible] निदेशक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए. / 2019 / 2331 दिनांक 07.11.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0 / 2305 / एक्ट / 2019 / 1845 दिनांक 23.10.2019 अनुसार अंकित कुमार जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **रिफाइंड पाप ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का **रिफाइंड पाप ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52(सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब पेश पेश किया। जवाब का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड पाप ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइंड पाप ऑयल (केदावत ब्राण्ड)** नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री अंकित कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन निवासी धाकड कॉलोनी जयपुर रोड टोडारायसिह जिला टोंक विकेता मैसर्स अंकित ट्रेडर्स सब्जी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री शान्तिलाल निवासी धाकड कॉलोनी जयपुर रोड टोडारायसिह जिला टोंक प्रोपरायटर मैसर्स अंकित ट्रेडर्स सब्जी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री अमित गुप्ता पुत्र श्री मोहन लाल गुप्ता निवासी बी–82 एल.एस नगर नया खेडा विधानी [illegible] जयपुर प्रोपरायटर मैसर्स श्री ताडकेश्वर एग्रो फूड प्रोडक्ट एच 1–37 / 37ए रीको [illegible] एरिया सरना डूगर झोटवाडा एक्सटेंशन जयपुर राज0 पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये [illegible] जरिये चालान से राजकोष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

29-10-2021

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:33:23 IST
Reason: SelfAttested